प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सोलह' परिशिष्ट 'अ' [28/2/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 397]

वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक जनजातीय कार्य/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में सागर संभाग अंतर्गत निम्नानुसार सहायक आयुक्त/जिला संयोजको के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थापित की गई :-

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्ष
1.	श्री साबित खान तत्का. प्रभारी जिला संयोजक पन्ना	2015
2	श्री साबित खान तत्का. प्रभारी जिला संयोजक पन्ना	2015
3	श्री एन.के. मल्होत्रा तत्का. जिला संयोजक, छतरपुर (से.नि.)	2016
4	श्री एस.के.तिवारी सहायक आयुक्त, सागर	2015
5	श्रीमती उषा पाठक सहायक आयुक्त, सागर	2016
6	श्री आर.एस.शर्मा (से.नि.)	2017

(अनुभाग अधिकारी)
अनुभाग अधिकारी
जनजातीय कार्य विभाग
म. प्र. शासन
जनजातीय कार्य विभाग, म. प्र. मंत्रालय

परिशिष्ट "ब"

श्री साबित खान, तत्का. प्रभारी जिला संयोजक, पन्ना द्वारा मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क. एफ 12–11/2014/25–2 दिनांक 17.06.14 द्वारा अनुसूचित जनजाति छात्रावास/आश्रमो में निवासरत विद्यार्थियों के उपयोग में आने वाली सामग्री पालक समिति के माध्यम से कय किये जाने के निर्देशों के विपरीत कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप आयुक्त आदिवासी विकास के आदेश क./स्था.1/डी.2/1872/5231 दिनांक 05.03.15 द्वारा निलंबित किया गया। कार्या. ज्ञापन क. 6791 दिनांक 26.03.15 द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये।

2. मध्यप्रदेश शासन आजाक मंत्रालय के आदेश क. एफ 16–9/2015/1/25 दिनांक 08.04.15 द्वारा श्री खान को निलंबन से बहाल कर प्रभारी जिला संयोजक पन्ना के पद पर पदस्थ किया गया।

3. कार्या. आदेश क. 13771 दिनांक 03.07.15 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की जाकर संभागीय उपायुक्त, सागर को जांचकर्ता अधिकारी एवं क्षेत्र संयोजक, पन्ना को प्रस्तुकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। संभागीय उपायुक्त, सागर से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।

द्वितीय विभागीय जांच के विषय में आयुक्त आदिवासी विकास के ज्ञापन क./स्था. 1/डी.2/1741/12/25144 दिनांक 10.12.12 द्वारा श्री साबित खान को वर्ष 2007–08 में छात्रावास/आश्रम हेतु 600 पलंग कय किये जाने के संबंध में आरोप पत्र जारी किये गये।

2. कार्या. आदेश क./स्था.1/डी.2/1749/14/5695 दिनांक 12.03.15 द्वारा श्री खान का प्रतिवाद समाधानकारक ना होने के कारण उनके विरूद्व विभागीय जांच संस्थित की गई। अपर कलेक्टर(कलेक्ट्रेट) पन्ना को जांचकर्ता अधिकारी एवं संभागीय उपायुक्त आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास, सागर संभाग, सागर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया।

3. जांचकर्ता अधिकारी अपर कलेक्टर पन्ना के ज्ञापन क./09/वि.जांच/2017 दिनांक 20.03.2017 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। जिसमे आरोप क. 1,2,3,4,5 एवं 7 प्रमाणित पाये जाने तथा आरोप क. 6 एवं 8 प्रमाणित नही पाये जाने का अभिमत दिया गया है।

4. कार्या. पत्र क. 9666 दिनांक 25.04.17 को श्री साबित खान, तत्का. जिला संयोजक पन्ना को जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति भेजकर उनका अभ्यावेदन चाहा गया है। श्री साबित खान द्वारा अभ्यावेदन 11.05.17 को प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में कलेक्टर पन्ना से वर्ष 2007–08 में कय की गई अनियमितता से शासकीय धन की कितनी हानि हुई है, जानकारी कार्या. पत्र क./स्था. 1/डी.2/1749/2017/25000 दिनांक 06.10.17 एवं अर्द्वशासकीय पत्र क./स्था.1/डी. 2/1749/3828 दिनांक 15.02.18 द्वारा चाही गई है। प्रकरण में निर्णय पारित नही हुआ है।

याचिका क. डब्ल्यू .पी. 1948/2017 श्री साबित खान विरूद्व शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में शासन के आदेश क. /2908/1881/2016/25/1 दिनांक 07.12.2017 द्वारा श्री साबित खान (मूलपद क्षेत्र संयोजक) को प्रभारी जिला संयोजक दमोह के पद पर यथावत रखा गया है।

अनुभाग अधिकारी
म. प्र. शासन
जनजातीय कार्य विभाग, म. प्र.

16.02.18
अपर संचालक
जनजातीय कार्य विभाग
मध्यप्रदेश